फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

जगदीश प्रसाद बनाम सुभाष देवन्दा वगै

मुकदमा नम्बर :– 55/2018

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	07/4/25	पी.कु.उप.। जगदीश प्रसाद का साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश हुआ। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य हेतु दिनांक 25/4/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	जगदीश
	25/4/25	पी.कु.उप.। वकील वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता ने साक्ष्य/जिरह नहीं करवाकर अंतिम बहस हेतु निवेदन किया। साक्ष्य/जिरह बन्द की जाती है बहस अंतिम सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने दस्तावेज सूची पेश की। जो शा.रि. है पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता है डिक्री जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा.रि. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा अभिलेख इन्द्राज हो। सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

मुकदमा नम्बर :–55/2018

उनवान

जगदीश प्रसाद पुत्र रिछपाल सिंह, उम्र 45 वर्ष, जाति जाट, निवासी पटेल की कोठी, ग्राम लापुआ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)।

–वादी–

बनाम

1. सुभाष देवन्दा पुत्र प्रभात, जाति जाट, निवासी गणपति धाम, सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
2. मुरलीधर पुत्र चन्द्राराम, जाति बलाई, निवासी शिमारला जागीर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–25.04.2025

वादी द्वारा वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम बाढ़ावाली, पटवार हल्का ढ़ोढ़सर, भू0अ0नि0 क्षेत्र गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता सं0 68 के खसरा नं0 187/2026 रकबा 0.08 है0 किस्म बारानी–3 की खातेदारी सम्पूर्ण ही वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा वादी की भूमि के दक्षिणी ओर प्रतिवादी सं0 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नं0 187/2 स्थित है। जो कि इस वाद में भूमि विवादग्रस्त है। वादी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 09.06.2017 को श्रीमान तहसीलदार साहब चौमूं के आदेश क्रमांक/भू.अ./2017/1882 दिनांक 19.05.2017 की पालना में बहमराह गिरदावर गोविन्दगढ़ पटवारी हल्का ढ़ोढ़सर के साथ मय राजस्व रिकॉर्ड के ग्राम बाढ़ावाली के खसरा नं0 187/2026 के मौके पर जाकर वादी व अन्य पड़ौसी कृषक व अन्य मोतबिरान उपस्थित सीमाज्ञान करवाया गया। जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर वादी अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं के समक्ष प्रार्थना पत्र उनवानी जगदीश प्रसाद बनाम राजस्थान

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

सरकार पेश कर रखा है, जो विचाराधीन है। प्रतिवादी सं0 1 ता 2 आये दिन वादी की खातेदारी भूमि की सींव जोड़ में कांट–छांट करते हैं तथा वादी की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने के लिए सींव डोल को तोड़–फोड़ करते रहते हैं तथा आवारा पशुओं को प्रवेश करवाकर वादी की खातेदारी भूमि में उगी हुई फसल को नुकसान कारित करते हैं। भूमि विवादग्रस्त वादी के कब्जे काश्त में है तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 2 वादी के पड़ौसी सींव जोड़ खातेदार काश्तकार है। जो आये दिन वादी के ,खेत की मेढ़ (बाधा) को तोड़कर अपने खेत में मिलाकर वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर अवैद्य रुप से कब्जा कर वादी को बेदखल करने पर आमादा रहते हैं तथा सींव को लेकर वादी से हमेशा लड़ाई–झगड़ा करते रहते हैं। दिनांक 10.12.2018 को प्रतिवादी सं0 1 ता 2 वादी की गैर मौजूदगी में वादी की मेढ़ तोड़कर उसमें जबरिया प्रवेश करने की कोशिश करने लगे तथा वादी द्वारा उक्त भूमि विवादग्रस्त पर बोई गई फसल को नुकसान कारित करने की धमकी दी, वादी को उसकी खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग में व्यवधान कारित किया गया। जब वादी ने प्रतिवादी सं0 1 ता 2 को सींवडोल को तोड़ने से मना किया तो प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने वादी को एलानियां धमकी दी कि हम तो शीघ्र ही सीमाओं को नष्ट कर पुख्ता निर्माण करके रहेंगे क्योंकि उक्त भूमि हमारी है, तुम्हें जो करना है सो कर लो। जिस कारण वादी द्वारा वाद पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ है।

वादी द्वारा वादपत्र मय शपथ–पत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावे कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नं0 187/2026 रकबा 0.08 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 सींवडोल में कोई बाधा कारित नहीं करें, ना ही पुख्ता निर्माण करें, ना ही वादी के उपयोग–उपभोग में कोई बाधा कारित करें, ना ही उक्त समस्त कार्य अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमेन से करवायें।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौमूं के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0 एक्ट के निर्णय दिनांक 04.12.2024 की नकल पेश की। न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का स्वीकार किया जा चुका है तथा सीमाज्ञान दिनांक 09.06.2017 के अनुसार तहसीलदार चौमूं को पत्थरगढ़ी करवाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

प्रतिवादीगण सं0 1 की ओर से जवाब वाद पत्र इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि मिन प्रतिवादी की उपस्थिति में वादी ने कोई सीमाज्ञान नहीं करवाया, ना ही उक्त

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

तथाकथित दिनांक 19.05.2017 की पालना में तैयार की गई है। सीमाज्ञान की फर्द रिपोर्ट पर मिन प्रतिवादी के हस्ताक्षर हैं। ऐसे में समस्त तथ्य वादी स्वयं साबित करे। मिन प्रतिवादी ने कभी भी वादी की भूमि पर अवैद्य रुप से कब्जा करने या सींव डोल को तोड़फोड़ करने की कोशिश नहीं की। उक्त समस्त तथ्य वादी स्वयं साबित करें। वादी ने केवल मात्र वाद पत्र पेश करने की गरज से काल्पनिक व मनगढ़न्त तथ्य अंकित किये हैं। इस कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है। मिन प्रतिवादी ने कभी भी वादी की सींव डोल के साथ छेड़छाड़ नहीं की, ना ही कोई निर्माण सामग्री डाली, मिन प्रतिवादी केवल अपनी खातेदारी भूमि में निर्माण कार्य कर रहा है। जिसमें निर्माण करने का अधिकार है। तथाकथित दिनांक 10.12.2018 को मिन प्रतिवादी द्वारा कोई धमकी नहीं दी गई, ना ही कब्जा करने की कोशिश की गई। इस कारण कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। जिस कारण वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादीगण सं0 2 की ओर से जवाब वाद पत्र इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वादी ने उक्त उनवानी वाद पत्र मिन जवाबदाता को हैरान परेशान करने की गरज से मिथ्या व मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। मन प्रतिवादी सं0 2 द्वारा आराजी भूमि खसरा नं0 187/2 रकबा 0.25 हैक्टेयर को भूखण्डों में विभक्त कर बैचान कर दिया तथा वर्तमान में जवाब वाद पत्र में उल्लेखित भूखण्डधारी काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं तथा भूमि खसरा नं0 187/2 के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल बना रखी है। वादी ने जानबूझकर मौके पर काबिज व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया है जिस कारण पक्षकारों असंयोजन के कारण वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने आपस में कॉल्यूजन कर हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है जो मिथ्या आधारों पर होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादी का विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग नहीं है जिस कारण कब्जे के अभाव में वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौमूं के निर्णय दिनांक 04.12.2024 के अनुसार सीमाज्ञान दिनांक 09.06.2017 के अनुसार तहसीलदार चौमूं को पत्थरगढ़ी करवाने के आदेश दिये जा चुके हैं। वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग के संबंध में किसी अन्य खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

अतः वादी का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम बाढ़ावाली, पटवार हल्का ढ़ोढ़सर, भू0अ0नि0 क्षेत्र गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता सं0 68 के खसरा नं0 187 / 2026 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें व वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नहीं करें।

पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

जगदीश प्रसाद पुत्र रिछपाल सिंह, उम्र 45 वर्ष, जाति जाट, निवासी पटेल की कोठी, ग्राम लापुआ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)।

–वादी–

बनाम

1. सुभाष देवन्दा पुत्र प्रभात, जाति जाट, निवासी गणपति धाम, सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
2. मुरलीधर पुत्र चन्द्राराम, जाति बलाई, निवासी शिमारला जागीर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :–55 / 2018

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि वाके ग्राम बाढ़ावाली, पटवार हल्का ढ़ोढ़सर, भू0अ0नि0 क्षेत्र गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता सं0 68 के खसरा नं0 187 / 2026 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें व वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नहीं करें।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

सहायक कलक्टर
चौमूं, जयपुर

मु0सं0–55/2018
उनवान–जगदीश प्रसाद बनाम सुभाष देवन्दा वगै0
निर्णय दिनांक:–25.04.2025

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 25.04.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.....
सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	6	जोड़	2

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)